न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 122/17 (RCMS No. 2017/00134) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

रामकरण उर्फ करणा पुत्र झीता जाति गुर्जर निवासी बांसडा बनेसिंह तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. चिरंजी लाल पुत्र रामफूल जाति गुर्जर | निवासी बासडा बनेसिंह तहसील बौली
2. रामनिवास पुत्र रामरतन जाति गुर्जर | जिला सवाई माधोपुर
3. तहसीलदार बौली

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 31.10.2011 एवं नामा0 सं0 239 दिनांक 09.02.90 ग्राम बासड़ा बनेसिंह तहसील बौली

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री कुंज बिहारी अग्रवाल वकील रैस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांकः—22.03.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.10.2011 एवं नामान्तरकरण सं0 239 पर पारित आदेश दिनांक 09.02.90 वॉके ग्राम बासड़ा बनेसिंह तहसील बौंली के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि विवादित आराजी ख0 नं0 416/1 रकवा 2 बीघा वॉके ग्राम बासड़ा बनेसिंह तहसील बौली का नामान्तरकरण संख्या 239 आवंटन के आधार पर रामकरण पुत्र झीता जाति गूजर निवासी बासड़ा बनेसिंह गैर खातेदार के नाम दर्ज किया गया। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध भंवर सिंह वगैरहा ने अपर जिलाधीश सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 26.06.68 को स्वीकार होकर आवंटन आदेश निरस्त कर दिया। इसके बाद चिरंजी लाल वगैरहा ने रामकरण के विरूद्ध

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) 1970 आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह माना कि विवादित आराजी का आवंटन अदालत हाजा द्वारा पूर्व में ही रैवेन्यू अपील सं0 459/68 में पारित निर्णय दिनांक 26.06.68 से निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र रेसजूडिकेटा होने के कारण चलने योगय नही है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.10 को खारिज कर दिया। इसके बाद चिरंजी वगैरहा ने उक्त नामा0 सं0 239 निर्णय दिनांक 09.02.90 के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में अपील पेश की। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने दिनांक 31.10.2011 को अपील स्वीकार कर नामा0 आदेश निरस्त कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध रामकरण ने यह अपील पेश की है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त नामान्तरकरण की अपील की गई थी। उन्हीं व्यक्तियों द्वारा पूर्व में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष आवंटन खारिज करने का प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स 1970 में पेश प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त मामला रेस ज्यूडीकेटा के बाधित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर सदैव से कब्जा रहा है तथा वर्तमान समय में भी अपीलान्ट विवादित भूमि पर काबिज है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है अधिकार अलग से दावे में तय कराने चाहिये। उनका तर्क है कि रैस्पो0 सं0 1 व 2 का उक्त आराजी से कोई लेना–देना नही है, न ही उक्त व्यक्ति किसी भी तरह से एग्रीब्ड पर्सन है। इसलिये उन्हें अपील पेश करने का अधिकार ही नही है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्धान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 416/1 रकवा 2 बीघा वॉके ग्राम बासड़ा बनेसिंह तहसील बौली का आवंटन अपर जिलाधीश सवाई माधोपुर ने दिनांक 26.06.68 को निरस्त कर दिया। इसके बाद रैस्पो0 ने अपीलान्ट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) 1970 पेश कर आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र रेसजूडिकेटा होने के कारण निरस्त कर दिया। अपीलान्ट ने उक्त नामा0 सं0 239 निर्णय दिनांक 09.02.90 के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में अपील पेश की। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने दिनांक 31.10.2011 को अपील स्वीकार कर नामा0 आदेश निरस्त कर दिया। अपीलान्ट का आवंटन पूर्व में ही निरस्त हो चुका है। इसलिये नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्त हो चुका है। अपीलान्ट का आवंटन व आवंटन के आधार पर नामा0 निरस्त हो चुके हैं। इसलिये अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी ख0 नं0 416/1 रकवा 2 बीघा वॉके ग्राम बासड़ा बनेसिंह तहसील बौली का नामान्तरकरण संख्या 239 आवंटन के आधार पर रामकरण पुत्र झीता जाति गूजर निवासी बासड़ा बनेसिंह गैर खातेदार के नाम दर्ज किया गया। इस नामान्तरकरण के विरूद्ध भंवर सिंह वगैरहा ने अपर जिलाधीश सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 26.06.68 को स्वीकार होकर आवंटन आदेश निरस्त कर दिया। इसके बाद चिरंजी लाल वगैरहा ने रामकरण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) 1970 आवंटन को निरस्त करने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की प्रार्थना की। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह माना कि विवादित आराजी का आवंटन अदालत हाजा द्वारा पूर्व में ही रैवेन्यू अपील सं0 459/68 में पारित निर्णय दिनांक 26.06.68 से निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र रेसजूडिकेटा होने के कारण चलने योगय नही है। अतः प्रार्थना पत्र दिनांक 12.03.10 को खारिज कर दिया। इसके बाद चिरंजी वगैरहा ने उक्त नामा0 सं0 239 निर्णय दिनांक 09.02.90 के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर में अपील पेश की। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने दिनांक 31.10.2011 को अपील स्वीकार कर नामा0 आदेश निरस्त कर दिया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट का आवंटन पूर्व में ही अपर जिलाधीश सवाई माधोपुर ने दिनांक 26.06.68 को निरस्त कर दिया। जब आवंटन ही निरस्त हो गया तो उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण स्वतः ही निरस्त हो गया। अपीलान्ट को उक्त आवंटन निरस्त के आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में करनी चाहिये। इस न्यायालय द्वारा कोई अनुतोष नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण निरस्त करने में कोई त्रुटि नही की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् है। अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.10.2011 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official